न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 27/2022

1. पुष्पा पुत्री बद्दल पत्नी मुंशी
2. पूनम पुत्र बद्दल पत्नी धनीराम जाति कुम्हार निवासी सांवलेर हाल निवासी ग्राम जाव (मथुरा) उ0प्र0
3. राजवती पुत्री बद्दल पत्नी लक्ष्मण
4. सरोज पुत्री बद्दल पत्नी गोविन्द सिंह जाति कुम्हार निवासी सांवलेर हाल निवासी पखरपुर (मथुरा) उ0प्र0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. ओमवती पत्नी नन्नू
3. रोहताश
4. रामोवतार
5. विनोद पिसरान नन्नू
6. सुनीता
7. कमला
8. पूजा पुत्रीयान नन्नू
9. शिवलाल
10. रामदयाल
11. चरनलाल
12. रामचन्द पिसरान हट्टीराम
13. रामप्यारी
14. केला
15. रामवती पुत्रीयान हट्टीराम जाति कुम्हार निवासी सांवलेर तहसील पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 10/08/2022

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 89/0.41, 1403/0.29, हाल खसरा नम्बर 168/0.41, 2020/0.29 किता–2 रकबा 0.70 हैक्टर बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित हैं । वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के हित व हक समान है वक्त दावा दायरी उपस्थित नहीं हो सके इसलिए प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 को मुकदमें में तरतीवी प्रतिवादीगण बनाया गया हैं। आराजी पूर्व में कुन्दन पुत्र पलटू की गैरमौरूसी को रकबा था जिस पर सम्पूर्ण जीवन काल तक कुन्दन के काश्त की कुन्दन के बाद आराजी विरासतन कन्हैया व हट्टी राम को बराबर बराबर हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड हुई और आज मौके पर हिस्सा 1/2 हट्टीराम एवं हिस्सा 1/2 पर कन्हैया के वारिसान काबिज काश्त है। कन्हैया के 2 पुत्र बद्दल व नन्नू हुये जो कि फौत हो चुके है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आज भी मृत्तक बद्दल व नन्नू का नाम दर्ज रिकॉर्ड में गैरखातेदार के रूप में हो रहा है मृत्तक बद्दल के वादीगण वारिसान एवं मृत्तक नन्नू के वारिसान तरतीवी प्रतिवादीगण मौके पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के काबिज काश्त है और मौके पर हाल में फसल खडी हुई है। आराजी मुतदाविया पुश्तैनी आराजी है। राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 के लागू होने के पूर्व से ही वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान काबिज काश्त रहे । सम्वत 2008 लगायत 2012 में कन्हैया पुत्र कुन्दन मौरूसी दर्ज है। लेकिन आज भी राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि कानून के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिए । लेकिन अभी भी आराजी मृत्तक बद्दल व मृत्तक नन्नू के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज हो रही है। आराजी मुतदाविया पर अब हाल में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गैर मौरूसी के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 06/04/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में कुन्दल पुत्र पलटू की मौरूसी का रकबा था कुन्दन की फौती के बाद आराजी विरासतन कन्हैया व हट्टीराम को विरासतन मिली जिस पर निरन्तर रूप से काश्त हो रही है। कन्हैया के वारिस दो पुत्र बद्दल व नन्नू हुये इनके वारिसान वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण है जिनका आराजी में 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही वादीगण बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मौरूसी के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 पुष्पा , पी0डब्लू0 2 पूनम के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16, 2017–20, 2018–21, 2025–28, 2033–36, 2037–40, 2046–49, 2050–53, व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 व नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2013–16 आराजी कुन्दन पुत्र पलटू के नाम मौरूसी दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी पूर्व में कुन्दन पुत्र पलटू की गैरमौरूसी को रकबा था जिस पर सम्पूर्ण जीवन काल तक कुन्दन के काश्त की कुन्दन के बाद आराजी विरासतन कन्हैया व हट्टी राम को बराबर बराबर हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड हुई और आज मौके पर हिस्सा 1/2 हट्टीराम एवं हिस्सा 1/2 पर कन्हैया के वारिसान काबिज काश्त है। वर्तमान में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण व तरतीवी

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

5. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 89/0.41, 1403/0.29, हाल खसरा नम्बर 168/0.41, 2020/0.29 किता–2 रकबा 0.70 हैक्टर बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/08/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 27/2022

1. पुष्पा पुत्री बद्दल पत्नी मुंशी
2. पूनम पुत्र बद्दल पत्नी धनीराम जाति कुम्हार निवासी सांवलेर हाल निवासी ग्राम जाव (मथुरा) उ0प्र0
3. राजवती पुत्री बद्दल पत्नी लक्ष्मण
4. सरोज पुत्री बद्दल पत्नी गोविन्द सिंह जाति कुम्हार निवासी सांवलेर हाल निवासी पखरपुर (मथुरा) उ0प्र0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. ओमवती पत्नी नन्नू 3. रोहताश 4.रामोवतार 5.विनोद पिसरान नन्नू 6.सुनीता 7. कमला 8.पूजा पुत्रीयान नन्नू 9. शिवलाल 10. रामदयाल 11.चरनलाल 12. रामचन्द पिसरान हट्टीराम 13. रामप्यारी 14. केला 15. रामवती पुत्रीयान हट्टीराम जाति कुम्हार निवासी सांवलेर तहसील पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 89/0.41, 1403/0.29, हाल खसरा नम्बर 168/0.41, 2020/0.29 किता–2 रकबा 0.70 हैक्टर बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।**

आज ..... X ...... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/08/ सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा ....
उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner